—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 68/2022

उनवान

पवन सिंह पुत्र रामदेव जाति रावत निवासी ग्राम अन्सरी, नसीराबाद
—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री रविन्द्र शर्मा

बनाम

1. भागचन्द पुत्र उगमा,
2. सीताराम पुत्र उगमा,
3. सुगना पुत्र उगमा,
4. सेंदू पुत्र प्रभू,
5. नेमीसिंह पुत्र प्रभू समस्त जातिगण रावत निवासी अन्सरी तहसील नसीराबाद,
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 से 5 जरियें अधिवक्ता श्री महेश सुकरिया
7 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 30/6/25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अन्सरी के हाल खसरा नम्बर 1977 रकबा 0.10, 389 रकबा 0.38 की आराजी प्रार्थी की कयशुदा है। उक्त आराजी प्रार्थी ने दिनांक 222.7.20 को लक्ष्मण पुत्र देवा जाति रावत से कय की थी। आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा हैं। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा दिनांक 27.04.22, 27.05.22, 13.06.22 व 16.06.22 को आराजी मुतनाजा से प्रार्थी को बेदखल करने के आशय से लडाई—झगडा किया। अप्रार्थीगण बिना किसी अधिकार के प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने के कारण जवाब बंद किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :—

ग्राम अन्सरी के हाल खसरा नम्बर 1977 रकबा 0.10, 389 रकबा 0.38 की आराजी प्रार्थी की कयशुदा है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 का आराजी मुतनाजा पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:31:06 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

रिकाडेर्ड खातेदार है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी का बैचान नही कर सकते है। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा दखलदांजी के तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही सिद्व होगे। प्रकरण में विशेष परिस्थितियॉ सिद्व नही होती है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्राथी सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा दखलदांजी के तथ्य मूल वाद में सिद्व होगे। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्राथी सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम अन्सरी के हाल खसरा नम्बर 1977 रकबा 0.10, 389 रकबा 0.38 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:31:06 IST
Reason: SelfAttested